में जारी हुए

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी झुंझुनूं

दावा संख्या 148/2011

उनवान

श्रीमति मीना देवी वगैरह बनाम नरेन्द्रसिंह वगैरह

दावा बाबत घोषणार्थ विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। वाद वादिया के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वाद-पत्र में वर्णित जमीन मुरब्बा राजस्व कस्बा झुंझुनूं में हाल ख०न० 2362, 2363 कुल किता-2 कुल रकबा 4.26 है० स्थित है जिसमें से वादिया न० 1 व प्रतिवादी न०-13 क्रमश: मीना देवी एवं उम्मेद सिंह प्रत्येक को 1/8 हक हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर विभाजन कराये जाने का कथन किया गया है। हमने प्रस्तुत वाद-पत्र में वर्णित तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए वाद वादिया अभिभाषक वादी को मनन किया गया। वाद ग्रस्त भूमि में वादिया न०-1 का 1/8 हिस्सा व प्रतिवादी न०-13 उम्मेद सिंह का 1/8 हिस्सा मुताबिक जमाबंदी कस्बा झुंझुनूं संवत 2074-2077 से सिद्ध है व वादीया न० 9 केसरी देवी ने अपना 1/8 हिस्सा की जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 16-11-2017 को उम्मेद सिंह पुत्र हरफूलसिंह जाट के पक्ष बेचान कर वर्तमान वाद पत्र में प्रतिवादी न० 13 के रूप में पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी न० 13 का भी 1/8 हिस्सा मुताबिक जमाबंदी सिद्ध है। इस प्रकार वाद वादिया सिद्ध होने पर प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है। लिहाजा -

आदेश

वाद वादिया सिद्ध होने पर प्रारम्भिक रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व कस्बा झुंझुनूं के ख०न० 2362 रकबा 2.10 है०, ख०न० 2363 रकबा 2.16 है० किता-2 कुल रकबा 4.26 है० कृषि भूमि की बाबत निम्नलिखित

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

(2)

तारीख हुक्म	
	मु. डोनूं को 5600/- रु० मौका जाँच पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि वह वादीया नं० 1 के हिस्सा 1/8 व वादिया नं०-2 श्रीमति केशरी देवी का 1/8 हिस्सा के स्थान पर प्रतिवादी नं० 13 उम्मेदसिंह का हिस्सा 1/8 की सीमा तक पक्षकारों की मौजुदगी में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 तथा राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5-9-20 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में विभाजन प्रस्ताव-तैयार कर 15 दिवस में इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। तदनुसार प्राथमिक [illegible] डिक्री जारी हो। पत्रावली विभाजन प्रस्ताव की प्रतीक्षा में दिनांक 15-3-22 को पेश हो। आदेश आज दिनांक 14/2/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।
	14.02.22